रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 12, 2017/चैत्र 22, 1939
No. 280] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 12, 2017/CHAITRA 22, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. 347(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 की उपधारा (2) के खंड (ज), खंड (झ), खंड (ञ) और खंड (ट) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) संशोधन नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 में,—

(क) नियम 2 के उपनियम (1) में, खंड (चक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(चक) विनयमक से—

(i) ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी या सरकार, जिस पर, रिपोर्टिंग सत्ताओं या निदेशक के क्रियाकलाप जैसा सरकार द्वारा किसी विनिर्दिष्ट रिपोर्टिंग सत्ता या रिपोर्टिंग सत्ताओं के वर्ग या किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अधिसूचित की जाए, अनुज्ञा प्रदान करने, प्राधिकृत करने, रजिस्टर करने, विनियमित करने या पर्यवेक्षण करने की शक्ति निहित है;

(ii) नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (कक) में यथापरिभाषित केन्द्रीय के वाई सी अभिलेख रजिस्ट्री की बाबत भारतीय रिजर्व बैंक";

अभिप्रेत है;

(ख) नियम 9क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"**9ख. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरीक्षण.—**(1) रिजर्व बैंक, नियम 9क में निर्दिष्ट केन्द्रीय रजिस्ट्री के कृत्यों की बाबत केन्द्रीय रजिस्ट्री से कोई जानकारी, विवरण या अन्य विशिष्टियां मांग सकेगा या जो रिजर्व बैंक ठीक समझे केन्द्रीय रजिस्ट्री का निरीक्षण अपने एक या अधिक अधिकारियों द्वारा करा सकेगा ।

(2) रिजर्व बैंक केन्द्रीय रजिस्ट्री को ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट की एक प्रति प्रदाय करेगा ।

(3) केन्द्रीय रजिस्ट्री के प्रत्येक निदेशक या अधिकारी या कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह उसकी अभिरक्षा में सभी ऐसे बही, खातों और अन्य दस्तावेजों को उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा और केन्द्रीय रजिस्ट्री के कार्यों के संबंध में कोई विवरण या जानकारी, जो उक्त अधिकारी उससे अपेक्षा करे, देगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण का व्यय केन्द्रीय रजिस्ट्री द्वारा वहन किया जाएगा ।"

[अधिसूचना सं. 1/2017/फा. सं. पी-12011/5/2011-ईएस सेल-डीओआर]

बिप्लब कुमार नस्कर, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 444(अ), तारीख 1 जुलाई, 2005 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा. का. नि. सं. 717(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2005, सा.का.नि. सं. 389(अ), तारीख 24 मई, 2007, सा.का.नि. सं. 816(अ), तारीख 12 नवंबर, 2009, सा.का.नि. सं. 76(अ), तारीख 12 फरवरी, 2010, सा.का.नि. सं. 508(अ), तारीख 16 जून, 2010, सा.का.नि. सं. 980(अ), तारीख 16 दिसंबर, 2010, सा.का.नि. सं. 481(अ), तारीख 24 जून, 2011, सा.का.नि. सं. 576(अ), तारीख 27 अगस्त, 2013, सा.का.नि. सं. 288(अ), तारीख 15 अप्रैल, 2015, सा.का.नि. सं. 544(अ), तारीख 7 जुलाई, 2015, सा.का.नि. सं. 633(अ), तारीख 11 सितंबर, 2015, सा.का.नि. सं. 730(अ), तारीख 22 सितंबर, 2015 और सा.का.नि. सं. 882(अ), तारीख 18 नवंबर, 2015 को संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2017

G.S.R. 347(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (h), clause (i), clause (j) and clause (k) of sub-section (2) of section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government in consultation with the Reserve Bank of India hereby makes the following further amendments to the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, namely:—

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Amendment Rules, 2017.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005,—

 (a) in rule 2, in sub-rule (1), for clause (fa), the following clause shall be substituted, namely:—

 "(fa) Regulator means --

 (i) a person or an authority or a Government which is vested with the power to license, authorise, register, regulate or supervise the activity of reporting entities or the Director as may be notified by the Government for a specific reporting entity or a class of reporting entities or for a specific purpose;

 (ii) the Reserve Bank of India with respect to Central KYC Records Registry as defined in clause (aa) of sub-rule (1) of rule 2";

(b) after rule 9A, the following rule shall be inserted, namely:—

"**9B. Inspection by Reserve Bank of India.—**(1) The Reserve Bank may, with respect to functions of the Central Registry referred to in rule 9A, call for any information, statement or other particulars from the Central Registry or cause an inspection of the Central Registry to be made by one or more of its officers as the Reserve Bank may deem fit.

(2) The Reserve Bank shall supply to the Central Registry, a copy of the report of such inspection.

(3) It shall be the duty of every director or officer or employee of the Central Registry to produce before the officer making an inspection under sub-section (1) all such books, accounts and other documents in his custody and to furnish him with any statement and information relating to the affairs of the Central Registry, as the said officer may require of him.

(4) The expenses of the inspection under sub-rule (1) shall be borne by the Central Registry.

[Notification No. 1/2017/F.No. P.12011/5/2011-ES Cell-DoR]

BIPLAB KUMAR NASKAR, Under Secy.

Note : The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R. 444(E) dated the 1st July, 2005 and subsequently amended vide number G.S.R. 717(E), dated the 13th December, 2005, number G.S.R. 389(E), dated the 24th May, 2007, number G.S.R. 816(E), dated the 12th November, 2009, number G.S.R. 76(E), dated the 12th February, 2010, number G.S.R. 508(E), dated the 16th June, 2010, number G.S.R. 980(E), dated the 16th December, 2010, number G.S.R. 481(E), dated the 24th June, 2011 and number G.S.R. 576(E), dated the 27th August, 2013, number G.S.R. 288(E), dated the 15th April, 2015, and number G.S.R. 544 (E), dated the 7th July, 2015, number G.S.R. 693 (E), dated the 11th September, 2015, number G.S.R. 730(E), dated the 22nd September, 2015 and number G.S.R. 882(E), dated the 18th November, 2015.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.04.18 14:34:47 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.